श्री अंबालाल एम. शाह और एक अन्य

बनाम

हाथीसिंह मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड

(न्यायमूर्तिः- के.एन. वानचू, के.सी. दास गुप्ता,

जे.सी. शाह और रघुबर दयाल)

औद्योगिक उपक्रम-केंद्र सरकार द्वारा इनके मामलों की जांच-रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी का प्रबंधन अधिग्रहण। -वैधता - उद्योग (विकास एवं नियमन) एक्ट 1951 धारा 18(A)(1)B ,

इस राय का होना कि प्रत्यर्थी कंपनी में सूती वस्त्रों के उत्पादन की मात्रा में गिरावट, एक औद्योगिक उपक्रम, जिसके लिए आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं था, केंद्र सरकार ने धारा 15 उद्योग (विकास एवं नियमन) एक्ट 1951 के तहत एक आदेश दिया। ताकि तीन लोग मामले की परिस्थितियों की एकदम और पूर्ण जांच को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद, केंद्र सरकार की राय थी कि कंपनी को जनता के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। धारा 18A के तहत एक आदेश दिया कि अपीलार्थी सं. 1 को उक्त उपक्रम के पूरे प्रबंधन को संभालने के लिए अधिकृत करता है। प्रत्यार्थीगण ने

उक्त आदेश की वैधता को चुनौती दी आदेश की वैधता, अन्य बातों के साथ-साथ, कि 18 ए के तहत केंद्र सरकार को इस आधार पर आदेश देने का अधिकार था कि कंपनी का प्रबंधन केवल सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था, जहां धारा 15 के तहत जांच की गई थी। जबकि वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार द्वारा आदेशित जांच धारा 15(a)(1) में उल्लिखित राय के आधार पर शुरू की गई थी।

अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित धारा 18A के तहत आदेश वैध था और धारा 18(1)(B) में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द "जिसके संबंध में धारा 15 के तहत एक जांच की गई है।" प्रतिबंधात्मक वाक्यांश "इस राय पर आधारित है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन इस तरह से किया जा रहा है जो संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक है।" से अलग नहीं किया जा सकता धारा 18 ए (1) (बी) केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन को संभालने के लिए अधिकृत करना, यदि जांच की एक शर्त धारा 15 के तहत की गई हो। इस बात की परवाह किए बिना कि जांच किस राय पर शुरू की गई थी, पूरी की गई थी और आगे की शर्त पूरी की गई है कि केंद्र सरकार की राय थी कि इस तरह के

उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीका या जनहित के लिए किया जा रहा था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 285/1961।

गुजरात उच्च न्यायालय के 1960 का विशेष सिविल आवेदन संख्या 434 में पारित निणर्य व आदेश के 6 दिसंबर, 1960 को खिलाफ अपील।

एच. एन. सान्याल, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ऑफ इण्डिया,

आर. एच. ढेबर, टी. एम. सेन, अपीलकर्ता के लिए

आई.एम. नानावती, एस.एन. एंडली, रामेश्वर नूथ और पी.एल. वोहरू, प्रत्यार्थीगणों के लिए।

21 अगस्त 1961 अदालत का फैसला दास गुप्ता, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उद्योग (विकास और विकास) की धारा 18 ए(1)(बी) में कुछ शब्दों की सही व्याख्या पर सवाल उठाती है। केंद्र सरकार ने धारा 15 के तहत एक आदेश दिया ताकि मामले की पूर्ण जांच करने के उद्देश्य से तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जावे ओर मामले की परिस्थितियों पर विचार करें क्योंकि उसकी राय थी कि ऐसा हुआ था या था। हाथीसिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड,

अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के उत्पादन की मात्रा में भारी गिरावट हुई, जिसके लिए मौजूदा आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके पास कोई औचित्य नहीं था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद केंद्र सरकार की राय थी कि इस औद्योगिक उपक्रम को सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था, इसलिए अधिनियम की धारा 18 ए के तहत अंबालाल शाह (हमारे सामने पहले अपीलकर्ता) को अधिकृत करने का आदेश दिया गया कि वह उक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले।

इस आदेश के खिलाफ औद्योगिक उपक्रम और उसके मालिक - जो हमारे सामने दो प्रतिवादी हैं - ने अनुच्छेद 226 के तहत गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की ओर प्राधिकृत नियंत्रक और भारत संघ को धारा 18 ए के तहत आदेश के आधार पर प्रबंधन नहीं लेने का निर्देश देने वाली रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है। मुख्य आधार जिस पर आवेदन आधारित था वह यह था कि धारा 18 ए(1)(बी) के उचित निर्माण पर केंद्र सरकार को केवल तभी आदेश देने का अधिकार है जहां धारा 15 के तहत जांच को धारा 15(बी) में उल्लिखित आधार पर शुरू किया गया हो - कि औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। यह

भी आग्रह किया गया कि वास्तव में जांच के लिए नियुक्त समिति ने इस सवाल पर अपनी जांच का निर्देश नहीं दिया था कि क्या औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन ऊपर उल्लिखित तरीके से किया जा रहा था। याचिका में उल्लिखित अन्य आधार जिन्हें हालांकि सुनवाई के समय छोड़ दिया गया था, उनमें एक आधार भी शामिल था। जैसा कि धारा 18 ए के तहत आदेश में उल्लिखित है, सरकार द्वारा बनाई गई कथित राय जांच समिति की रिपोर्ट किसी भी सामग्री के अभाव में थी और इसलिए 'मनमानी, मनमौजी और दुर्भावनापूर्ण थी।

सरकार और प्राधिकृत नियंत्रक की ओर से यह आग्रह किया गया कि उल्लिखित पांच राय में से कौन सी राय के आधार पर जांच की गई पूरी तरह से सारहीन था। आरोप है कि जांच समिति ने इस सवाल पर अपनी जांच का निर्देश नहीं दिया था कि क्या उपक्रम का प्रबंधन ढंग से किया जा रहा था, प्रश्न, क्यों प्रबंधन अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक था, को अनदेखा कर दिया गया।

हालाँकि, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा18 ए (1)(बी) की सही व्याख्या के लिए पर। धारा18 ए (1)(बी) के तहत कोई भी आदेश देने से पहले यह आवश्यक था कि जांच अधिनियम की धारा 15(बी) में उल्लिखित राय के आधार पर शुरू की जानी चाहिए थी। इसने

याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि वास्तव में इस सवाल की कोई जांच नहीं की गई थी कि क्या उपक्रम को सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था। तदनुसार इसने एक आदेश दिया "केंद्र सरकार के 28 जुलाई, 1960 के आदेश को रद्द कर दिया, और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे पहले याचिकाकर्ता, अर्थात् "हाथीसिंह मिल्स" के उपक्रम के प्रबंधन में हस्तक्षेप न करें या उसका प्रबंधन अपने हाथ में न लें। उक्त आदेश के अनुसरण में"। यह इस निर्णय के विरुद्ध है कि वर्तमान अपील निर्देशित है।

अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 18 ए की सही व्याख्या के संबंध में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। धारा 18 ए(1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार चलता है

"यदि केंद्र सरकार की राय है कि-

(ए)--------

(बी) एक औद्योगिक उपक्रम जिसके संबंध में धारा 15 के तहत जांच की गई है। धारा15 (चाहे धारा 16 के अनुसरण में उपक्रम को कोई निर्देश जारी किए गए हों या नहीं), संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है,

केंद्र सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है या व्यक्तियों के निकाय को उपक्रम के पूरे या किसी हिस्से का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए या उपक्रम के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में नियंत्रण के ऐसे कार्य करने के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं....."

विवाद "धारा 15 के तहत जांच की गई है" शब्दों के निर्माण पर है। धारा 15 इन शब्दों में है

'जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय है कि-

(ए) किसी भी अनुसूचित उद्योग या औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों के संबंध में-

(i) उस उद्योग से संबंधित किसी भी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के संबंध में उत्पादन की मात्रा में, या औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निर्मित, या उत्पादित, जैसा भी मामला हो, में पर्याप्त गिरावट आई है या होने की संभावना है। हो सकता है, जिसके लिए प्रचलित आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य न हो; या

(ii) उस उद्योग से संबंधित किसी भी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की गुणवत्ता में या औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निर्मित या

।उत्पादित, जैसा भी मामला हो, में उल्लेखनीय गिरावट आई है या होने की संभावना है, जो हो सकती थी या हो सकती थी बचा जा सकता है;या

(iii) उस उद्योग में उपयोग की जाने वाली या औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निर्मित या उत्पादित किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की कीमत में वृद्धि हुई है या होने की संभावना है। जैसा भी मामला हो जिसके लिए औचित्य है; या

(iv) उद्योग या औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों, जैसा भी मामला हो, में उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के किसी भी संसाधन को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस अध्याय में प्रदान की गई कोई भी कार्रवाई करना आवश्यक है; या

(बी) किसी भी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा है, केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे मामले की परिस्थितियों की पूर्ण और संपूर्ण जांच कर सकती है या करवा सकती है।"

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 15(बी) जैसा कि यह मूल रूप से था, 1955 में संशोधित किया गया था और संशोधन के बाद ही ऊपर उल्लिखित शब्द सामने आए। धारा 16 का संदर्भ भी दिया

जा सकता है जिसके तहत एक बार धारा 15 के तहत जांच शुरू या पूरी हो जाने के बाद केंद्र सरकार यदि वांछनीय समझती है, तो कई मामलों में संबंधित औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों को निर्देश जारी कर सकती है। मूल अधिनियम की धारा 17 को 1953 में 1953 के अधिनियम 26 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसी संशोधन अधिनियम ने इस अधिनियम में दो नए अध्याय अध्याय IIIA और अध्याय IIIB जोडे, जिनमें से अध्याय IIIA में धारा 18A एक आदेश के लिए ऊपर निर्धारित प्रावधान करता है, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को संपूर्ण उपक्रम या उसके किसी भाग का प्रबंधन संभालने के लिए अधिकृत करना।

धारा 18A के प्रावधान, धारा 17(1) के जैसे-जैसे दिखने है। प्रावधान जो पहले धारा 17(1)। वह धारा, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, ने केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति, या विकास परिषद या किसी अन्य व्यक्ति निकाय को किसी उपक्रम के प्रबंधन को संभालने या उसके संबंध में ऐसे कार्यों को करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार दिया था। नियंत्रण - जैसा कि आदेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है, केवल एक श्रेणी के मामलों में - अर्थात, जहां एक निर्देश जारी होने के बाद, धारा 16 के अनुसरण में। केंद्र सरकार की राय थी कि निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था और जिस औद्योगिक उपक्रम के संबंध में निर्देश जारी किए गए

थे, उसका प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था। वर्तमान धारा 18A सरकार को दो वर्गों के मामलों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रबंधन संभालने या नियंत्रण के ऐसे कार्यों को करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इन वर्गों में से पहले का उल्लेख क्लाज (ए) में किया गया है- (ए) धारा 18 ए(1) के, अर्थात, जहां केंद्र सरकार की राय है कि धारा 16 के अनुसरण में जारी किए गए निर्देशों का किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। दूसरा वर्ग जिसके साथ हम यहां सीधे संबंधित हैं उसका उल्लेख क्लाज (बी) में किया गया है। (बी) - अर्थात, जहां केंद्र सरकार की राय है कि एक औद्योगिक उपक्रम जिसके संबंध में धारा 15 के तहत जांच की गई है, को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। क्या धारा 16 के अनुसरण में कोई निर्देश जारी किए गए थे या नहीं। इस खंड के शब्दों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 15 के तहत एक औद्योगिक उपक्रम के संबंध में जांच शुरू की जा सकती है, जहां केंद्र सरकार धारा 15 (ए) (आई) में उल्लिखित पांच राय में से किसी एक से सहमत है। 15(ए)(ii), 15(ए)(iii), 15(ए)(iv) और धारा 15(बी), धारा 18 ए(1)(बी) इनमें से किसी भी राय का

उल्लेख नहीं करता है (वास्तव में), यह जांच शुरू करने के प्रश्न का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है और केवल धारा 15 के तहत जांच करने का उल्लेख करता है। धारा 18 ए (1) (बी) की भाषा में और कुछ जोड़े बिना पढ़ें केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संभालने या उस उपक्रम के संबंध में नियंत्रण के निर्दिष्ट कार्यों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है, यदि धारा 15 के तहत की गई जांच की एक शर्त पूरी हो गई है, भले ही किस राय पर जांच शुरू की गई थी और आगे की शर्त यह है कि केंद्र सरकार की राय है कि इस तरह के उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है।

हमारे सामने प्रत्यर्थीगणों की ओर से किया गया तर्क, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, वह यह है कि जब विधायिका ने "धारा 15 के तहत एक जांच की गई है" शब्दों का उपयोग किया तो इसका मतलब था कि "धारा 15 के तहत एक जांच की गई है।" केंद्र सरकार की एक राय है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या

सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा है। हमें यह सोचना चाहिए था कि यदि विधायिका ऐसी मंशा व्यक्त

करना चाहती थी तो उसे ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करने में कोई झिझक नहीं होती। हालाँकि, प्रत्यर्थीगणों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि ये आगे के शब्द, जैसे, "'केंद्र सरकार की एक राय पर आधारित है कि औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। "धारा 18 ए के क्लाज(बी) में निहित हैं। इस विवाद की सत्यता को समझाने के लिए अपने लंबे संबोधन में विद्वान वकील ने मूल रूप से केवल दो तर्क दिए। पहला यह है कि यह केवल वहीं है जहां धारा 15 के तहत जांच धारा 15 (बी) में उल्लिखित राय पर शुरू की जाती है - कि औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। जांच की रिपोर्ट सरकार को ऐसी सामग्री प्रदान कर सकती है जिसके आधार पर कोई राय बनाई जा सकती है कि किसी औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। इस तर्क के लिए हमें कोई आधार नहीं मिल सकता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां किसी औद्योगिक उपक्रम के

संबंध में जांच इस राय पर शुरू की गई है कि उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है या आने की संभावना है, जिसके लिए आर्थिक स्थितियों

को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है। धारा 15(ए)(i) या एक राय है कि किसी भी लेख की गुणवत्ता में आंशिक गिरावट आई है या होने की संभावना है जिसे धारा 15(ए)(ii) से बचाया जा सकता था या टाला जा सकता था; या एक राय है कि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है या होने की संभावना है जिसके लिए धारा 15(ए)(iii) का कोई औचित्य नहीं है; या एक राय है कि राष्ट्रीय महत्व के किसी भी संसाधन के संरक्षण के उद्देश्य से कार्रवाई करना आवश्यक है धारा 15 (ए) (iv), जांच को पूरा करने के लिए उपक्रम के प्रबंधन की गुणवत्ता पर भी विचार करना चाहिए यह प्रबंधन की गुणवत्ता पर विचार करेगा जहां जांच इस राय पर शुरू की जाती है कि औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। इसके लिए, धारा 15 के क्लाज (1) के चार उप-खंडों में उल्लिखित किसी भी राय के गठन पर सरकार की जांच शुरू हो गई है तो, अन्वेषक को आवश्यक रूप से तीन मामलों की जांच करनी होगी: क्या सरकार द्वारा बनाई गई राय सही है; दूसरे, इस स्थिति के कारण क्या हैं, अर्थात, उत्पादन की मात्रा में अनुचित गिरावट या वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट

या वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या इस उद्देश्य के लिए कार्रवाई की आवश्यकता संसाधनों के संरक्षण का; और तीसरा, अगर यह स्थिति मौजूद

है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इनमें से दूसरे मामले पर विचार करते समय, अर्थात्, इस स्थिति का कारण, के लिए अन्वेषक को यह जांचना चाहिए कि प्रबंधन की गुणवत्ता इसके लिए कितनी और किस तरह से जिम्मेदार है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि प्रबंधन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और कठिनाई की जड़ में कोई अन्य कारण है। दूसरी ओर, वह यह मान सकता है कि प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार है या अन्य कारणों से वह ऐसा मान सकता है। प्रबंधन की गुणवत्ता में खामी भी अपनी भूमिका निभाती है..., कुछ हद तक जिम्मेदार भी। वास्तव में, हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि एक अन्वेषक ने जांच कैसे शुरू की है। किसी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में सरकार द्वारा धारा 15(A) में उल्लिखित एक या अधिक राय के आधार पर आदेश दिया गया है। औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच से बच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्लाज (A) में "जिसके लिए वहां मौजूद आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए" शब्दों का उपयोग कोई औचित्य नहीं है। (ए) (i) जांच के दायरे को इंगित और सीमित करें और जांचकर्ता केवल यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं या नहीं

जो उत्पादन की मात्रा में गिरावट को उचित ठहराती हैं या नहीं और फिर देखें, कहां आवश्यक है कि इन आर्थिक स्थितियों को कैसे बदला जा

सकता है। हालाँकि, ऐसा कहना जांच और उसके बाद कार्रवाई का प्रावधान करने वाले कानून की पूरी योजना को नजरअंदाज करना है। स्पष्ट रूप से, इस कानून का उद्देश्य केंद्र सरकार को धारा 15 के विभिन्न खंडों में उल्लिखित अवांछनीय स्थिति को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। ताकि सरकार के पास यह जानने के लिए उचित सामग्री हो कि क्या कार्रवाई आवश्यक है, विधायिका ने सरकार को "पूर्ण और संपूर्ण जांच" करने या कराने का अधिकार दिया। धारा 18, पद जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को जांच में सहायता के लिए विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुनने का अधिकार दिया और जांच समिति को सिविल कोर्ट सभी शक्तियां प्रदान कीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय, को साक्ष्य लेने के उद्देश्य से, शपथ पर और गवाहों की उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों और सामग्री, वस्तुओं के प्रस्तुत करवाने की शक्ति प्राप्त है। जब तक जांच "पूरी और पूर्ण" नहीं हो जाती, कानून का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। कोई भी जांच जिसमें औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है, उसे पूर्ण या पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

आगे यह तर्क दिया गया कि "मामले की परिस्थितियाँ" शब्दों के प्रयोग से पता चलता है कि जाँच केवल उसी मामले की होनी चाहिए

जिसके संबंध में सरकार ने एक राय बनाई है, किसी और चीज़ की नहीं। यह मानते हुए कि ऐसा है और - अन्वेषक को मुख्य रूप से अपनी जांच करनी है जहां उत्पादन में गिरावट के संबंध में एक राय के आधार पर जांच शुरू की गई है, इस तरह की गिरावट के संबंध में प्रश्नों में; और इसी तरह, जहां गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में एक राय पर जांच शुरू की गई है, ऐसी गिरावट के सवाल पर, यह इस तथ्य से अलग नहीं है कि जांचकर्ता को उत्पादन में गिरावट के कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी होगी या: गुणवत्ता में गिरावट और जांच के इस हिस्से में आवश्यक रूप से प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच शामिल होगी।

विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि धारा (15) क्लाज (A) में उल्लिखित एक या अधिक राय के आधार पर जांच की जाती है वहां उन सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त था, जिन पर सरकार यह राय बना सकती थी कि किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था या नहीं। क्लाज (बी) पूरी तरह से अनावश्यक होगा. इससे हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां इस राय के गठन को उचित ठहराने वाली जानकारी हो सकती है कि औद्योगिक उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक

हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था, हालांकि, इस राय के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वहां उत्पादन में अनुचित गिरावट या गुणवत्ता में टालने योग्य गिरावट या कीमतों में अनुचित वृद्धि या धारा 15 (ए) के चार उप-खंडों में उल्लिखित स्रां संसाधनोंके संरक्षण के उद्देश्य से कार्रवाई करने की आवश्यकता है या होने की संभावना है। यह भी आग्रह किया गया कि जहां धारा (15) क्लाज (A) में उल्लिखित एक राय के गठन पर जांच शुरू की गई है, वहां प्रबंधन से अपेक्षा करना अनुचित होगा कि इसके प्रबंधन की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी सबूत कों पेश करने के लिए और इसलिए अन्वेषक के गुमराह होने का जोखिम है। हालाँकि, हमें इस सवाल पर किसी भी प्रबंधन के लिए कोई संदेह होने का कोई कारण नहीं दिखता है कि जांच अन्य चीजों के अलावा प्रबंधन की गुणवत्ता के सवाल पर निर्देशित की जाएगी। हमारा मानना है कि किसी भी राय के आधार पर जांच शुरू होने पर किसी भी प्रबंधन द्वारा की जाने वाली पहली चीजों में से एक यह दिखाने की कोशिश होगी कि यह कितना कुशल था और उच्च गुणवत्ता के बावजूद, इसके प्रबंधन के गलत काम कैसे हुए। जिन चीजों की जांच की जा रही थी, उनकी अवांछनीय स्थिति के लिए श्रम या सरकार का असहानुभूतिपूर्ण रवैया या परिवहन की कठिनाइयाँ या उनके नियंत्रण से परे कोई अन्य कारण जिम्मेदार था।

तर्क यह है कि इसके सिवाय जहां धारा 15(B) में उल्लिखित राय के आधार पर जांच शुरू की गई है सरकार के लिए यह राय बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं होगी कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था, इसलिए विफल रहता है। विद्वान वकील द्वारा दिया गया दूसरा तर्क भी उतना ही अस्थिर है कि यदि "धारा 15 के तहत जांच की गई है" शब्दों को धारा 15 (ए) में उल्लिखित किसी भी राय के आधार पर जांच को शामिल करने के लिए माना जाता है तो बेतुके परिणाम आएंगे। यह उल्लेख करने के लिए कहा गया कि बेतुके परिणाम क्या होंगे, विद्वान वकील केवल इतना ही कह सके कि ऐसे मामलों में 18 ए(1)(बी) के तहत आदेश अनुचित होगा, क्योंकि किसी औद्योगिक उपक्रम के मालिक को इस बात की कोई सूचना नहीं होगी कि प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। ऐसा विद्वान वकील का कहना है। यह तर्क वास्तव में इस धारणा पर आधारित है कि जब क्लाज में उल्लिखित किसी भी राय के आधार पर जांच शुरू की गई है प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच नहीं की जाएगी जैसा कि हमने पहले कहा है, इस धारणा का कोई आधार नहीं है।

इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पष्ट शब्द "जिसके संबंध में धारा 15 के तहत एक जांच की गई

है" को वाक्यांश संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक है।" से अलग नहीं किया जा सकता इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि, धारा 18ए(1)(बी) में इन शब्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्माण सही नहीं है।

यह हमें उठाए गए दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए लाता है, अर्थात। , क्या वास्तव में जांच की गई थी। सवाल यह है कि क्या. औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था। इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्यार्थीगण ने इस आधार को कैसे त्याग दिया कि सरकार के पास यह राय बनाने के लिए गैर-भौतिक सामग्री थी कि उपक्रम को संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था, फिर भी यह आग्रह कर सकते हैं कि कोई जांच नहीं की गई थी वास्तव में इस प्रश्न

पर विचार किया गया कि क्या औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था। यह सवाल कि क्या वास्तव में जांच की गई थी या नहीं, इस सवाल पर कि क्या औद्योगिक उपक्रम का

प्रबंधन संबंधित अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था, केवल यह दिखाने के लिए प्रासंगिक होगा कि सरकार ने पहले बिना किसी सामग्री के काम किया था । इसने या दुर्भावनापूर्ण कार्य किया। यदि दुर्भावनापूर्ण आरोप या यह आरोप कि सरकार के पास अपनी राय बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, छोड़ दिया जाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इस सवाल की जांच की गई थी कि क्या औद्योगिक उपक्रम को अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था।

हालाँकि, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण गलत था कि यह स्थापित नहीं हुआ कि वास्तव में इस प्रश्न पर जाँच की गई थी। हम पाते हैं कि याचिका में दावा अनुच्छेद 226 के तहत है कि जांच को "मिलों के किसी भी कथित कुप्रबंधन की ओर निर्देशित नहीं किया गया था" का भारत संघ की ओर से शपथ पत्र में खंडन किया गया था। जब इसके बाद 10 अक्टूबर, 1960 को याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर प्रत्युत्तर में हलफनामे में पुष्टि की गई कि 'ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था जिससे यह पता चले कि समिति मिलों के किसी भी कुप्रबंधन की जांच कर रही थी,' श्री थॉमस डी सा का एक हलफनामा, जो जांच समिति का सदस्य था, ने हलफनामे में जो भारत संघ की ओर से

दायर किया गया था। इस हलफनामे में यह स्पष्ट दावा किया गया कि "समिति" ने न केवल उक्त औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन की मात्रा में गिरावट से संबंधित प्रश्न की जांच की, बल्कि परिस्थितियों की भी पूरी जांच की। उक्त औद्योगिक उपक्रम के कामकाज सहित उसके प्रबंधन और क्या उक्त उपक्रम का प्रबंधन संबंधित उद्योग या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक तरीके से किया जा रहा था।" उच्च न्यायालय ने श्री डी सा की इस हलफनामे को खारिज करना उचित समझा है। उन कारणों से जो हमें पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने एक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, विशेषकर श्री पी.एच. भूटा का, जो जांच समिति के प्रमुख-आधिकारिक सदस्य थे, लेकिन अंततः श्री डी सा का हलफनामा दायर किया , न कि श्री भुटा का हलफनामा। उच्च न्यायालय का मानना है कि श्री भूटा जांच समिति के एक स्वतंत्र सदस्य थे, जबकि श्री डी सा सरकार की सेवा में थे। श्री डी सा का बयान संदेह के दायरे में है। हमारे विचार में, उच्च-सार्वजनिक अधिकारियों पर ऐसा संदेह सामान्यतः उचित नहीं है, श्री डी सा श्री भूटा जितने ही जांच समिति के सदस्य थे और इसलिए गवाही देने के लिए श्री भूटा से कम सक्षम नहीं थे। जहां तक संबंधित मामले का संबंध है हम सिर्फ इसलिए उनकी

ईमानदारी पर संदेह करना उचित नहीं समझते कि वह भारतीय संघ के अधिकारी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि जो प्रश्नावली परिशिष्ट X के रूप में संलग्न है। दूसरे प्रतिवादी राजेंद्र प्रसाद मानेक लाल के हलफनामे में स्वयं कई प्रश्न शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच की जा रही थी।

एक परिस्थिति जो उच्च न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होती है वह यह है कि समिति की रिपोर्ट, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश सही कहते हैं, यह दिखाने के लिए सबसे अच्छा सबूत होगी कि "वास्तव में उक्त उपक्रम के प्रबंधन के प्रश्न की जांच हुई थी" "मिस्टर नानावटी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भारत संघ द्वारा पेश नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं महाधिवक्ता को अपने निरीक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था या चाहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि

याचिकाकर्ताओं की ओर से दस्तावेज़ को पेश के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं किया गया था। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के वकील के अनौपचारिक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, भारत संघ के खिलाफ निष्कर्ष निकालना हमें उचित नहीं लगता। निचली अदालत में जो

कुछ हुआ उसके मद्देनजर हमने अपीलकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वह हमारे सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार हैं। विद्वान वकील ने तत्परता से रिपोर्ट तैयार की और संबंधित हिस्से की जांच करने के बाद का जहां रिपोर्ट प्रबंधन के सवाल से संबंधित है , हमने इसे अदालत में पढ़ा ताकि प्रत्यर्थीगण के वकीलों को सटीक स्थिति पता चल सके। रिपोर्ट का यह भाग कहता है:-,,कि प्रबंधन एक युवा और अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में है और समिति की राय थी कि वर्तमान प्रबंधक मिलों के मामलों को संभालने में असमर्थ है; वर्तमान प्रबंध एजेंट आगे जांच करने में असमर्थ हैं। तथ्य यह है कि रिपोर्ट में ऐसी राय शामिल है, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रबंधन की गुणवत्ता के सवाल पर वास्तव में एक जांच की गई थी, जैसा कि श्री डी सा ने पुष्टि की थी। इसलिए उच्च न्यायालय का विचार कि उपक्रम के प्रबंधन के सवाल पर कोई जांच नहीं हुई गलत नहीं हुई।

इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्यर्थीगण इन अपीलकर्ताओं को धारा-18 ए(1)(बी) के तहत सरकार के आदेश को प्रभावी नहीं करने का निर्देश देने वाली किसी भी रिट के हकदार नहीं थे। इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं, रिट जारी करने के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और आदेश देते हैं कि- संविधान

की धारा 226 के तहत आवेदन को खारिज किया जाए।अपीलकर्ताओं को उनकी लागत यहां और नीचे दोनों जगह मिलेगी।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता अनुवादक **अंकित रमन (न्यायिक अधिकारी)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।